झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-03/कृ0रा0यो0-01/2019 85 /कृ0, रांची, दि0 21-06-19

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-72 दि.-03.05.2019 में उक्त योजना के कार्यान्वयन में निम्न प्रावधानों को स्वतंत्र कंडिका के रूप में समावेशित किया जाता है :-

(i) इस योजना के लाभुकों को अर्हता के निर्धारण हेतु Cut off Date 30.05.2019 होगा। अगले 5 वर्षों के लिए यही Cut Off मान्य होगा।

(ii) इस योजनान्तर्गत लाभुकों को मिलने वाली राशि दो या दो से अधिक किस्तों में दी जायेगी।

(iii) इस योजना हेतु निदेशक, कृषि तथा राज्य के सभी उपायुक्त द्वारा दो अलग-अलग बैंक खाता खोले जायेंगे। एक बैंक खाता योजनान्तर्गत राशि के लिए तथा दूसरा इस योजना से संबंधित आकस्मिकता के लिए। उक्त योजनान्तर्गत आवंटित राशि को कृषि निदेशक, (योजना तथा आकस्मिकता निधि के लिए अलग-अलग सृजित बैंक खाते में) उक्त दोनों बैंक खाते में जमा करेंगे तथा विभिन्न जिले के उपायुक्त से प्राप्त अधियाचना के आधार पर वांछित राशि जिलों के बैंक खाते में हस्तानांतरित करेंगे।

संबंधित अंचलाधिकारी अपने हस्ताक्षर से लाभुकों की सूची अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता/अपर उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। उक्त दोनों पदाधिकारी लाभुकों की सूची के जाँचोपरान्त इसे उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। प्राप्त सूची की अपने स्तर से जाँच करते हुए संबंधित उपायुक्त F.T.O (Fund Transfer Order) generate करेंगे तथा D.B.T के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि अन्तरित करेंगे।

(iv) जिन कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के लिए निर्धारित Exclusion प्रपत्र (प्रपत्र-E) में दिया गया स्वघोषण प्रमाण-पत्र इस योजना के लिए भी मान्य होगा उनके लिए प्रपत्र-D अनिवार्य नहीं होगा।

2. स्वीकृत्यादेश में वर्णित शेष अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।
3. प्रस्ताव एवं शुद्धि-पत्र प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
4. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है।
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-11.06.19 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
6. शुद्धि-पत्र प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21/6/19

सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner

ज्ञापांकः 85

राँची / दिनांकः 21-06-19

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः 85

राँची / दिनांकः 21-06-19

प्रतिलिपिः कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 85

राँची / दिनांक 21-06-19

प्रतिलिपिः विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव/अवर सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भूमि संरक्षण/उद्यान, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/ नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner